

क्रमांक: प.08(01)/आर.एन.सी./जीबी फाईल/2026/8409-11

दिनांक: - 30/07/2026

कार्यालय आदेश

गवर्निंग बोर्ड की बैठक दिनांक 21-10-2024 के एजेन्डा संख्या 02 (बिन्दु-03) में अन्य राज्य की नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नर्स द्वारा आरएनसी में पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने पर "कौंसिल स्तर से संबंधित कॉलेज से सत्यापन कराये जाने के उपरान्त पंजीकरण की कार्यवाही किये जाने" बाबत लिये गये निर्णय तथा इस संबंध में कार्यालय आदेश क्रमांक आरएनसी/2024/जीबी/7187-92 दिनांक 22-11-2024 को गवर्निंग बोर्ड की बैठक दिनांक 07-07-2026 के एजेन्डा संख्या 10 में लिये गये निर्णय के अनुसरण में तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाता है।

एतद् पश्चात अन्य राज्य की नर्सिंग कौंसिल में पंजीकृत नर्स द्वारा आरएनसी में पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने पर अन्य राज्य की नर्सिंग कौंसिल से उनकी अधिकृत मेल आईडी से एनओसी प्राप्त हो जाने तथा पृथक से एनओसी की हार्ड कॉपी प्राप्त हो जाने पर अन्य राज्य की नर्सिंग कौंसिल की एनओसी के आधार पर ही पंजीकरण किये जाने की कार्यवाही किये जाने के एतद्द्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं।

(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल,

जयपुर

क्रमांक: प.08(01)/आर.एन.सी./जीबी फाईल/2026/8409-11

दिनांक: - 30/07/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सहायक, निदेशक (जन.स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, आरएनसी, जयपुर।
2. प्रोग्रामर (अनुबन्ध आधार पर), आरएनसी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करें।
3. रक्षित पत्रावली।

(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर